भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-195

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की आपूर्ति

***195. श्री विष्णु दयाल रामः**

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों को वर्ष-वार और सेक्टर-वार कोयले की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या ताप विद्युत संयंत्रों के पास वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए कोयले का पर्याप्त भंडार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की कमी के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने ताप विद्युत संयंत्रों को अल्प अवधि के लिए बंद करना पड़ा था; और

(घ) सरकार द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 195 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : गत तीन वर्षों के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मानीटर किये गये) द्वारा प्राप्त कोयले की मात्रा के क्षेत्रवार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ख) : जी, हाँ। 6 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टाक लगभग 36.7 मिलियन टन (एमटी) था जो कि औसतन 26 दिनों के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के प्रचालन हेतु कोयले की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) : विद्युत यूटिलिटियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों अर्थात 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के दौरान कोयले की कमी के कारण उत्पादन हानि क्रमशः 15.054 बिलियन यूनिट (बीयू), 8.082 बीयू तथा 2.678 बीयू है। चालू वर्ष 2015-16 (फरवरी, 2016 तक) के दौरान, किसी भी विद्युत संयंत्र ने कोयले की कमी के कारण उत्पादन की हानि होना नहीं बताया है।

(घ) : ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित हैं:-

(i) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा कोयले का बढ़ा हुआ उत्पादन। सीआईएल ने कोयले की मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2019-20 तक कोयले का उत्पादन 1 बिलियन टन (बीयू) तक बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार किया है।

(ii) घरेलू कोयले की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए विद्युत यूटिलिटियों को कोयला ब्लॉक आबंटित किए गए हैं।

(iii) कोयले की उपलब्धता के संबंध में सरकार में उच्च स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है ताकि विद्युत संयंत्र का उत्पादन कोयले की कमी के कारण प्रभावित न हो।

****

अनुबंध

"विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों (केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निगरानी की गई) द्वारा प्राप्त कोयले की मात्रा का क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्षेत्र	**आंकड़े हजार टन में**								
	2012-13			**2013-14**			**2014-15**		
	घरेलू	आयातित	कुल	घरेलू	आयातित	कुल	घरेलू	आयातित	कुल
केंद्रीय	166937	11476	178413	173936	14802	188738	177839	18542	196381
राज्य	195060	13924	208984	181307	14664	195971	196498	16766	213264
निजी	39354	37770	77124	59452	50604	110056	76537	55980	132517
कुल	401351	63170	464521	414695	80070	494765	450874	91288	542162

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2071

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

जीवाश्म ईंधन भंडार

2071. श्री एम. चन्द्राकाशीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देश में जीवाश्म ईंधन भंडार का स्तर क्या है और किस अवधि/वर्ष तक इसके समाप्त होने की संभावना है;

(ख) भविष्य में, विशेषकर जीवाश्म ईंधन भंडार समाप्त हो जाने के पश्चात्, पहचान किए गए नए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जीवाश्म ईंधन भंडार समाप्त हो जाने के पश्चात् भावी ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्पूर्ण विश्व में और देश में किए गए अनुसंधान और विकास का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कोयले का वर्तमान भंडार स्तर 301.5 बिलियन टन है और लगभग 100 वर्षों तक चल सकता है। प्राकृतिक गैस का भंडार 47 ट्रिलियन क्यूबिक फीट और 800 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) तेल का भंडार है। इन भंडारों के 30-40 वर्षों तक चलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, देश में 44,114.24 मिलियन टन (एमटी) लिग्नाइट भंडार उपलब्ध है। तथापि, देश में लिग्नाइट खनन की वर्तमान तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर, खनन योग्य भंडार 4326 एमटी होने का अनुमान है। लिग्नाइट भंडार लगभग 85 वर्षों तक चलने की संभावना है।

(ख) : नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) जैसे सौर, पवन (अपतट पवन सहित), बायो-मास, टाइडल, भू-तापीय एवं लघु जल विद्युत इत्यादि को विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है जिसे जीवाश्म ईंधन के बदले में प्रयोग में लाया जाएगा।

(ग) : विद्युत मंत्रालय के आर एंड डी स्कीमों के अंतर्गत शुरू किए गए आरईएस संबंधी आर एंड डी परियोजनाओं के ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

पूरे विश्व में आरईएस में सुधार लाने और संबद्ध ऊर्जा भंडारण, और आरईएस के ग्रिड एकीकरण से संबंधित मामलों का समाधान करने के लिए आर एंड डी प्रयासों को निदेशित किया जाता है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

"नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों" की पूरी की गई परियोजनाओं से संबंधित आर एंड डी परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रम सं.	शीर्षक	संस्थान/संगठन
1	पवन विद्युत की व्यापक प्रवेश के साथ विद्युत प्रणाली की स्थिरता एवं विश्वसनीयता संबंधी अध्ययन।	सीपीआरआई (विद्युत प्रणाली विभाग)

चालू परियोजनाएं

क्रम सं.	शीर्षक	संस्थान/संगठन
1	हाइब्रिड पवन डीजल-सौर विद्युत प्रणाली के विवेकसम्मत नियंत्रण का अनुप्रयोग।	एनआईटी, हजरतबल, श्रीनगर
2	कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहे स्टैंडअलोन फोटो वोल्टेक सिस्टम के लिए विभिन्न एमपीपीटी एलगोरिथम का एफपीजीए आधारित विकास।	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कर्नाटक (एनआईटीके), सुरथकल, मंगलौर, कर्नाटक
3	ईंधन सेल अनुप्रयोग के लिए नैनो आकार के मेटल डोप्ड लेयरड टिटानेट का उपयोग कर रहे जल का बिखराव द्वारा हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन।	अलागप्पा कॉलेज ऑफ टैक्नोलॉजी (ए.सी. टेक) कैम्पस, अन्ना विश्वविद्यालय

अनुमोदित परियोजनाएं

क्रम सं.	शीर्षक	संस्थान/संगठन
1	रूफटाप एसपीवी विद्युत संयंत्र का वृहत पैमाने पर प्रवेश के कारण अनुकूलता का प्रभाव	डीएसडी, सीपीआरआई
2	एमपीपीटी और रिएक्टीव विद्युत क्षमताओं का उपयोग कर रहे पीवी प्रणाली से जुड़े ग्रिड के लिए नियंत्रण कार्यनीतियों का विकास।	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कानपुर
3	माइक्रो ग्रिड (फेज-II) में बहु-वितरित उत्पादन स्रोतों के प्रचालन और नियंत्रण संबंधी जांच।	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कर्नाटक (एनआईटीके), सुरथकल
4	भारतीय जलवायु क्षेत्र के लिए डे-अहेड सोलर पावर पूर्वानुमान	केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर
5	सौर-पवन विद्युत उत्पादन प्रणाली के लिए ग्रिड अंतरापृष्ठ विद्युत कनवर्जन यूनिट का डिजाइन, विकास और प्रसार।	अरुनाई इंजीनियरिंग कॉलेज, तिरूवन्नामलई
6	विश्वसनीय और विद्युत गुणवत्ता मामलों का समाधान करने के लिए स्टैंड-अलोन और ग्रिड संबंधित प्रचालन के लिए हाइब्रिड नवीकरणीय वितरित उत्पादनकर्ता के लिए स्मार्ट ग्रिड, नियंत्रकों का विकास।	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, पुडुचेरी
7	पवन विद्युत इंटरफेसिंग डिवाइस के रूप में सॉलिड स्टेट ट्रांसफार्मर का विकास।	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, कालीकट
8	सौर ऊर्जा और रिट्रीवल के लिए 1 केडब्ल्यू सोल्यूबल लेड रिडोक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का विकास और प्रदर्शन।	ईएटीडी, सीपीआरआई

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2074

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण संबंधी समझौता

2074. श्री अर्जुन लाल मीणाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आनन्दपुर साहिब जल विद्युत परियोजना, मुकेरिंया जल विद्युत परियोजना, थीन (रंजीत सागर) परियोजना, यूबीडीएस दूसरा चरण और शाहपुर कांडी जल विद्युत परियोजना के माध्यम से उत्पादित विद्युत के वितरण से संबंधित किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विद्यमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान तथा भारत सरकार के बीच दिनांक 10.05.1984 को एक समझौता किया गया था जिसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि आनंदपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट, मुकेरियन हाइडल प्रोजेक्ट, थीन डैम प्रोजेक्ट, अपर बारी दोआब कैनल (यूबीडीसी) चरण-II और शाहपुर कंडी हाइडल स्कीम में विद्युत की साझेदारी के लिए हरियाणा एवं राजस्थान के द्वारा किए गए दावों को देखते हुए भारत सरकार मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय के पास राय जानने के लिए भेजेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय की राय इस मामले में यह ली जानी थी कि क्या राजस्थान एवं हरियाणा राज्य इन जल विद्युत स्कीमों से उत्पादित बिजली को साझा करने के हकदार हैं और यदि वे हैं तो प्रत्येक राज्य के बीच कितनी साझेदारी होगी।

तथापि, बाद में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच 29-30 जुलाई 1992 और 6 अगस्त, 1992 को हुए विचार-विमर्श में इस बात पर सहमति बनी थी कि मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय को यह मामला नहीं भेजा जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि ये राज्य पारस्परिक परामर्श के माध्यम से एक युक्तिसंगत समझौता पर पहुंचेंगे। इस मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान करने के लिए कई औपचारिक विचार-विमर्श किए गए। तथापि, अब तक स्टेकहोल्डर राज्यों के विचारों से मिलने के कारण कोई आम सहमति नहीं बन पाई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2079

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी

2079. श्री जी. हरिः

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया एक तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था में सस्ती और पर्यावरणीय अनुकूल ऊर्जा की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी में सहयोग को सुदृढ़ करने पर सहमत हो गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने उच्च क्षमता तथा कम उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकी (एचईएलई) की भूमिका पर प्रकाश डाला है; और

(ग) यदि हां, तो जलवायु, वित्त और विकास बैंकों द्वारा भारत को किस हद तक राष्ट्रीय लक्षित निर्धारित अभिदान (आईएनडीसी) और उच्च क्षमता तथा कम उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकी (एचईएलई) समर्थन प्राप्त हुआ है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत-ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा सुरक्षा वार्ता के संदर्भ में 7 से 11 फरवरी, 2016 तक ऑस्ट्रेलिया में व्यवसाय-दर-व्यवसाय गोलमेज बैठकें आयोजित की गई जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ दक्ष कोयला खनन, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों, कोयला गैसीकरण (भूमिगत सहित) इत्यादि पर चर्चा की गई।

(ग) : भारत का इन्टेन्डेड नेशनली डिटरमाइन्ड कंट्रीब्यूशन (आईएनडीसी) 2021-30 की अवधि से संबंधित है। आईएनडीसी के लिए अभी हरित जलवायु वित्त तथा अन्य विकास बैंकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2115

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तीय सहायता

2115. श्री रामचरण बोहराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने अवसरंचना का विकास करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों के दूरदराज क्षेत्रों में सभी घरों को बिजली की आपूर्ति करने में यह किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी, नहीं। रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) लिमिटेड ने अवसंरचना विकास करने के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित किसी भी राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। यद्यपि, आरईसी ने वर्ष 2014-15 के दौरान 61421.37 करोड़ रुपये की कुल ऋण राशि की पारेषण, वितरण, उत्पादन और नवीकरणीय इत्यादि की 609 परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं। राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आरईसी ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अन्तर्गत 3773.55 करोड़ रुपये का एक ऋण घटक भी जारी किया है जो ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रदान करने में सहायक होगा।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2115 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आरईसी वित्तपोषित विद्युत अवसंरचना स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान संस्वीकृत राशि

			(रुपए लाख में)
क्रम सं.	**राज्य**	**स्कीमों/परियोजनाओं की संख्या**	**ऋण राशि**
क	**टी एंड डी**		
1	आंध्र प्रदेश	53	572972.8
2	छत्तीसगढ़	16	71334.85
3	हरियाणा	90	165516.11
4	हिमाचल प्रदेश	25	10181.92
5	जम्मू व कश्मीर	19	5143.4
6	कर्नाटक	36	110849.9
7	केरल	2	7094.46
8	मध्य प्रदेश	1	15470
9	महाराष्ट्र	63	202195.83
10	मणिपुर	13	3988
11	ओडिशा	12	19772.49
12	पंजाब	46	130628.42
13	राजस्थान	28	133379.09
14	तमिलनाडु	34	218657.93
15	तेलंगाना	57	140981.15
16	उत्तर प्रदेश	21	397304.33
17	उत्तराखंड	13	51206.54
18	पश्चिम बंगाल	23	238857.85
19	निजी (टी एंड डी)	0	7579
	उप-जोड़ (क)	**552**	**2503114.07**
ख	**उत्पादन परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश/तेलंगाना	0	115200
2	बिहार	1	237698
3	छत्तीसगढ़	0	150521
4	गुजरात	0	11674
5	कर्नाटक	1	187300
6	केरल	2	20386
7	महाराष्ट्र	0	132018
8	मध्य प्रदेश	1	61600
9	ओडिशा	4	259383
10	सिक्किम	0	96800
11	तमिलनाडु/पुडचेरी	2	484074
12	उत्तर प्रदेश	1	452395
13	उत्तराखंड	0	8782
	उप-जोड़ (ख)	**12**	**2217831**
ग	**नवीकरणीय परियोजना**		
1	आंध्र प्रदेश	1	2445

2	गुजरात	3	21658
3	महाराष्ट्र	2	9689
4	ओडिशा	1	11200
5	राजस्थान	1	9800
	उप-जोड़ (ग)	**8**	**54792**
घ	**एसटीएल और अन्य**		
1	दिल्ली	1	50000
2	कर्नाटक	9	131000
3	मध्य प्रदेश	5	205000
4	मेघालय	2	15000
5	पंजाब	9	132000
6	राजस्थान	3	430000
7	तेलंगाना	1	100000
8	उत्तर प्रदेश	5	273400
9	पश्चिम बंगाल	2	30000
	उप-जोड़ (घ)	**37**	**1366400**
	सकल योग (क+ख+ग)	**609**	**6142137.07**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2128

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

लघु जल विद्युत संयंत्र

2128. डॉ. किरीट सोमैयाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार भाखड़ा नांगल के डाउनस्ट्रीम में 28 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं कतिपय कारणों से रुकी हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2143

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

बीबीएमबी में राज्यों का प्रतिनिधित्व

2143. श्री बहादुर सिंह कोलीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बीबीएमबी सचिवालय में सभी भागीदार राज्यों को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त बैठक में लिये गये निर्णय को क्रियान्वित करने हेतु बीबीएमबी को निदेश जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : दिनांक 26.7.1986 को आयोजित बीबीएमबी बोर्ड की 122वीं बैठक में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) सचिवालय में सभी भागीदार राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के मामले पर भी विचार-विमर्श हुआ था। कोई भी विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया था।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2151

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

जल विद्युत परियोजनाएं

2151. डॉ. भोला सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में गंगा नदी पर चलाई जा रही अथवा लंबित परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13.08.2013 के अपने निर्णय के द्वारा, गंगा नदी बेसिन में स्थित 24 जल-विद्युत स्कीमों को पर्यावरण एवं वन स्वीकृतियां प्रदान नहीं करने का निदेश दिया था जिनके ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरूद्धार मंत्रालय ने केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को, न्यूनतम ई-प्रवाह की मात्रा का निर्धारण करने के लिए समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने तक, गंगा नदी बेसिन में जल विद्युत स्कीमों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) का मूल्यांकन नहीं करने का निदेश दिया है।

(ग) और (घ) : गंगा नदी पर प्रचालनाधीन, निर्माणाधीन तथा नियोजित जल विद्युत परियोजनाओं की कुल संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2151 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.08.2013 के आदेश के कारण रुकी हुई 24 एचईपी की सूची				
क्रम सं.	**उप-बेसिन**	**परियोजना का नाम**	**नदी**	**विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)**
1	बाल गंगा	बाल गंगा-II	बाल गंगा	7
2		झाला कोटी	धर्म गंगा (बाल गंगा)	12.5
3	भागीरथी-II	भैरों घाटी	भागीरथी	381
4		जालंधारीगाड़	जालंधारीगाड़	24
5		सियंगढ़	सियंगढ़	11.5
6		काकोरागाड़	काकोरागाड़	12.5
7	भागीरथी-IV	कोटलीभेल-I ए	भागीरथी	195
8	भागीरथी-I	करमोली	जड़गंगा	140
9		जड़गंगा	जड़गंगा	50
10	मंदाकिनी	रंबारा	मंदाकिनी	76(24)
11	अलकनंदा-I	कोटलीभेल-I बी	अलकनंदा	320
12	अलकनंदा-III	अलकनंदा	अलकनंदा	300
13		खैरो गंगा	खारो गंगा	4
14	अलकनंदा-II	उरगम-II	कल्पगंगा	5(3.80)
15	धौलीगंगा	लता तपोवन	धौलीगंगा	171(170)
16		मलारीझेलम	धौलीगंगा	114
17		जेलाटमक	धौलीगंगा	128(126)
18		टमकलता	धौलीगंगा	250
19	भ्युंदरगंगा	भ्युंदरगंगा	भ्युंदरगंगा	24.3
20	ऋषिगंगा-II	ऋषिगंगा-I	ऋषिगंगा	70
21		ऋषिगंगा-II	ऋषिगंगा	35
22	बिराहीगंगा	बिराहीगंगा-I	बिराहीगंगा	24
23		गोहाना तल	बिराहीगंगा	60(50)
24	गंगा	कोटलीभेल-II	गंगा	530
कुल		**24**		**2608.60**

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2151 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

गंगा नदी पर प्रचालनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौराः

क्रम सं.	परियोजना का नाम	नदी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वर्ष
1.	टिहरी (टीएचडीसी)	भागीरथी	1000	2006-07
2.	कोटेश्वर (टीएचडीसी)	भागीरथी	400	2011-12
3.	चिलिया (यूजेवीएनएल)	गंगा	144	1980-81
4.	मनेरीभाली स्टे-I (यूजेवीएनएल)	भागीरथी	90	1984
5.	मनेरीभाली स्टे-II (यूजेवीएनएल)	भागीरथी	304	2007-08
6.	विष्णु प्रयाग (जेपीवीएल)	अलकनंदा	400	2006-07
7.	श्रीनगर (जीवीके)	अलकनंदा	330	2015-16
	कुल		**2668**	

गंगा नदी पर निर्माणाधीन और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों वाली जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

(i) निर्माणाधीन:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	नदी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्रकार
1	तपोवन विष्णुगाड़ (एनटीपीसी)	धौलीगंगा	520	आरओआर
2	लता तपोवन (एनटीपीसी)*	धौलीगंगा	171	आरओआर
3	टिहरी-II टीएचडीसीआईएल (पीएसएस)	भागीरथी	1000	पीएसएस
4	विष्णुगाड पीपलकोटि टीएचडीसीआईएल	अलकनंदा	444	आरओआर
5	फाटा ब्यूंग मैसर्स लैंको	मंदाकिनी	76	आरओआर
6	सिंगोली भटवारी एल एंड टी यूएचपीएल	मंदाकिनी	99	आरओआर
	कुल		**2310**	

*** माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.08.2013 के आदेश के कारण रुकी हुई हैं जैसा कि अनुबंध-I में दर्शाया गया है।**

(ii) स्वीकृत एवं निर्माण हेतु अभी ली जानी हैं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	नदी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	परियोजना का प्रकार
1	कोटलीभेल-I ए एनएचपीसी*	भागीरथी	195	डैम टो
2	कोटलीभेल-I बी एनएचपीसी*	अलकनंदा	320	डैम टो
3	कोटलीभेल-II एनएचपीसी*	गंगा	530	डैम टो
4	अलकनंदा जीएमआर*	अलकनंदा	300	आरओआर
5	पाला मनेरी यूजेवीएनएल	भागीरथी	480	आरओआर
6	देवसरी एसजेवीएनएल	पिंडर	252	आरओआर
	कुल		**2077**	

*** माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.08.2013 के आदेश के कारण रुकी हुई हैं जैसा कि अनुबंध-I में दर्शाया गया है।**

(iii) जांच के अधीन:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	नदी	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	परियोजना का प्रकार
1	जेलम टमक टीएचडीसीआईएल*	धौलीगंगा	108	आरओआर
2	बोवाला नंद प्रयाग यूजेवीएनएल	अलकनंदा	300	आरओआर
	कुल		**408**	

*** माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.08.2013 के आदेश के कारण रुकी हुई हैं जैसा कि अनुबंध-I में दर्शाया गया है।**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2152

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योग

2152. श्री नलीन कुमार कटीलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उद्योगों द्वारा विद्युत खपत पर रोक हेतु कोई मानक निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में अधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों को चिन्हित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपर्युक्त मानकों का पालन करने वाले उद्योगों का राज्य-वार और उद्योग-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उद्योगों द्वारा अनिवार्य ऊर्जा खपत मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने नेशनल मिशन फार एनहेनस्ड एनर्जी एफिशिएंसी (एनएमईईई) की परफार्म, एचीव एंड ट्रेड स्कीम के अंतर्गत 8 अधिक ऊर्जा की खपत वाले क्षेत्रों के 478 औद्योगिक यूनिटों के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत (एसईसी) (उत्पादन के प्रति यूनिट पर उपयोग की गई ऊर्जा) को कम करने के लिए मानकों को अधिदेशित किया है। प्रत्येक औद्योगिक यूनिट के लिए लक्ष्य को कम करना ऊर्जा दक्षता के उनके वर्तमान स्तरों पर आधारित होता है ताकि ऊर्जा दक्षता वाले यूनिटों का प्रतिशत कमी

लक्ष्य, कम ऊर्जा दक्षता वाले यूनिटों, जिनके लक्ष्य अधिक होते हैं, की तुलना में कम हो। समग्र रूप से, एसईसी की कमी का लक्ष्य उद्देश्य वर्ष 2012-13 से 2014-15 (तीन वर्ष) की अवधि के लिए 6.686 मिलियन टन तेल के समतुल्य कुल ऊर्जा बचत करते हुए इन उद्योगों की कुल ऊर्जा खपत में 4.05% की कमी को सुरक्षित करना है।

पीएटी के अंतर्गत शामिल 8 क्षेत्रों के 478 औद्योगिक यूनिटों (निर्दिष्ट उपभोक्ताओं) का राज्य-वार और उद्योग-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) : इन ऊर्जा बचत मानकों और मानदण्डों का अनुपालन करते हुए, इनकी जांच ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा सूची में शामिल किए गए तृतीय पक्ष द्वारा अधिकृत लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है। वे यूनिटें जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है अथवा अपनी आवश्यकताओं की अनुपालना को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा बचतों के लिए ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र (ईएससीईआरटी) प्राप्त कर सकते हैं। पीएटी स्कीम में यह व्यवस्था की गई है कि ईएससीआरटी व्यवसाय किए जाने के योग्य होंगे जिन्हें पीएटी के अंतर्गत अन्य यूनिटों द्वारा क्रय किया जा सकता है। इनका उपयोग वे अपनी अनुपालन संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। ऐसी यूनिटें जो या तो अपने स्वयं के कार्यों द्वारा या फिर ऊर्जा बचत प्रमाणपत्रों की खरीद के माध्यम से अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत वित्तीय दण्ड के लिए उत्तरदायी होंगे।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2152 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

राज्य/क्षेत्र	एल्युमीनियम	क्लो-एलकली	टेक्सटाइल	पल्प और पेपर	आयरन और स्टील	फर्टिलाइजर	सीमेंट	ताप विद्युत संयंत्र	कुल
आंध्र प्रदेश		2	1	4	1	2	17	12	39
असम				2		2		3	7
बिहार							1	2	3
छत्तीसगढ़	1				21		7	9	38
दिल्ली								4	4
गोवा					3	1		1	5
गुजरात		8	11	2	4	4	8	17	54
हरियाणा			2	1		1		3	7
झारखंड	1	1			3		1	5	11
कर्नाटक	1		2	2	5	1	4	5	20
केरल		1		1		1	1	5	9
मध्य प्रदेश		1	6	2		2	9	4	24
महाराष्ट्र	1		14	2	10	2	4	12	45
ओडिशा	5			3	15		2	3	28
पुडुचेरी		1						1	2
पंजाब		2	11	3		2	1	3	22
राजस्थान		2	31			3	15	7	58
तमिलनाडु		3	5	3		1	9	20	41
त्रिपुरा								3	3
उत्तर प्रदेश	1	1		3	1	7	2	12	27
उत्तराखंड				2					2
पश्चिम बंगाल				1	3			13	17
हिमाचल प्रदेश			7				3		10
मेघालय					1		1		2
कुल	**10**	**22**	**90**	**31**	**67**	**29**	**85**	**144**	**478**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2159

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन हेतु पूंजीगत माल का आयात

2159. श्री रोडमल नागरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अपने घरेलू विनिर्माण को गति देने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के अंतर्गत विद्युत उत्पादन और पारेषण हेतु पूंजीगत माल को शुल्क मुक्त आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय ने पुराने माल को आयात करने और लाभ प्राप्त करने के मामलों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 5.01 (छ) के संबंध में दिनांक 29 जनवरी, 2016 को अधिसूचना सं. 35/2015-2020 जारी की है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि विद्युत के उत्पादन/पारेषण के लिए एक्सपोर्ट प्रोमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) योजना के अंतर्गत किसी पूंजीगत माल के आयात की अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) में आयात किए जा रहे द्वितीय श्रेणी के माल तथा दावा किए गए किसी लाभ का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(घ) : उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2166

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

2166. श्री कीर्ति आजादः
श्री जय प्रकाश नारायण यादवः
श्री हेमन्त तुकाराम गोडसेः
श्री कमल भान सिंह मराबीः
श्री आर. गोपालकृष्णनः
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रारंभ नई/निर्माणाधीन/लंबित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) का ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति सहित इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/परियोजना-वार निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदम/स्वीकृत निधियां कितनी हैं;

(ख) क्या कोई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना पर्यावरणीय स्वीकृति/भू-अधिग्रहण/निधियों/ईंधन में विलंब के कारण लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में यूएमपीपी हेतु नीलामी में हाल ही में संशोधन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/परियोजना-वार यूएमपीपी के लिए आवंटित कोयला ब्लॉकों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : चार अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) को अर्थात मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम तथा झारखंड में तिलैया को पहले ही विकासकर्ताओं को अंतरित किया जा

चुका है। अवार्ड किए गए चार यूएमपीपी में से मुंद्रा एवं सासन में दो यूएमपीपी प्रचालन में हैं। अवार्ड किए गए यूएमपीपी की स्थिति **अनुबंध-I** में दी गई है।

प्रत्येक मौजूदा एवं प्रस्तावित यूएमपीपी की विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 4000 मेगावाट है। यूएमपीपी के लिए निधि की व्यवस्था परियोजना के विकासकर्ता द्वारा की जाती है जिसे विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा जारी मानक बोली दस्तावेज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली मार्ग से चुना जाता है।

12 अन्य यूएमपीपी विकास के विभिन्न चरणों में हैं। कोयला ब्लॉकों के निश्चित आवंटन के पश्चात पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाती है। इन यूएमपीपी की स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ग) : विद्युत मंत्रालय ने यूएमपीपी/मामला-2 के संबंध में लागू मानक/आदर्श बोली दस्तावेजों की जांच करने के लिए श्री प्रत्युश सिन्हा, आईएएस (सेवानिवृत्त) तथा भूतपूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति ने (i) आबंटित घरेलू कोयला ब्लॉकों तथा (ii) आयातित कोयले पर आधारित यूएमपीपी के नए मानक बोली दस्तावेजों पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत कर दी है।

(घ) : यूएमपीपी को आबंटित कोयला ब्लॉकों के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2166 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थिति

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
1.	सासन यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सासन	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 07.08.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह से चालू हो गई है।
2.	मुंद्रा यूएमपीपी (5x800 मेगावाट)	जिला कच्छ, गुजरात में ग्राम टुंडावंड में मुंद्रा	परियोजना मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को 24.04.2007 को अवार्ड एवं अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
3.	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 29 जनवरी, 2008 को अवार्ड तथा अंतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला मूल्य निर्धारण के नए विनियम का उल्लेख करते हुए कार्यस्थल पर कार्य रोक दिया है। मुख्य प्रापकों अर्थात आंध्र प्रदेश साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।
4.	तिलैया यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला हजारीबाग तथा कोडरमा, झारखण्ड में तिलैया गाँव के निकट	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को 07 अगस्त, 2009 को अवार्ड और अंतरित की गई। विकासकर्ता (झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लि.) ने झारखंड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि का अंतरण नहीं किए जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 28.04.2015 को विद्युत क्रय करार की समाप्ति सूचना जारी की है।

****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2166 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

अन्य चिह्नित अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थिति

क्रम सं.	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
		ओडिशा	
1.	बेडाबहल	सुन्दरगढ़ जिले में बेडाबहल	नई बोली मानक बोल दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के बाद जारी की जाएगी।
2.	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी	समुद्र तटीय स्थान के लिए भद्रक जिले की चांदबली तहसील में बिजोयपाटना।	स्थल चिन्हित किया गया है।
3.	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी	जमीनी स्थान हेतु कालाहाण्डी जिले का नारला और कसिंगा उप मंडल	स्थल चिह्नित किया गया है।
		छत्तीसगढ़	
4.	छत्तीसगढ़ यूएमपीपी	जिला सरगुजा में सलका और खमरिया गांवों के समीप	कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.04.2015 के पत्र द्वारा कोयला ब्लॉकों के लिए अनंतिम संस्तुति की है।
		तमिलनाडु	
5.	चेय्यूर यूएमपीपी	गांव चेय्यूर, जिला कांचीपुरम	नई बोली मानक बोल दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के बाद जारी की जाएगी।
6	तमिलनाडु का दूसरा यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	सीईए ने दिनांक 22.01.2015 के पत्र द्वारा टेनजेडको से अनुरोध किया है कि वह तमिलनाडु में द्वितीय यूएमपीपी की स्थापना के वैकल्पिक स्थल को चिह्नित करे।
		झारखण्ड	
7.	देवघर (झारखंड का दूसरा) यूएमपीपी	हुसैनाबाद, देवघर जिला	ऑपरेटिंग स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) अर्थात देवघर मेगा पावर लि. तथा अवसरंचना एसपीवी अर्थात देवघर इंफ्रा लिमिटेड को क्रमशः दिनांक 26.04.2012 तथा दिनांक 30.06.2015 को निगमित किया गया। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 24.02.2016 को कोयला मंत्रालय से, भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) वाले उपयुक्त कोयला ब्लॉक को चिह्नित करने का अनुरोध किया है।

गुजरात			
8.	गुजरात का दूसरा यूएमपीपी	--	दिनांक 12.01.2016 को सीईए तथा पीएफसीसीएल के कर्मचारियों की एक टीम ने यूएमपीपी की स्थापना की संभावनाओं की तलाश करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा चिह्नित गिर सोमनाथ जिले में स्थल का दौरा किया।
कर्नाटक			
9.	कर्नाटक	राज्य सरकार ने मंगलोर तालुका, दक्षिण कन्नड़ जिले के निदोडी गांव में उपयुक्त स्थल चिन्हित किया है।	सीईए द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलौर तालुका के निदौड़ी गाँव के लिए स्थल से संबंधित मामलों का विशेष उल्लेख करते हुए स्थल दौरा रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को भेज दी गई है और मामलों के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया गया।
महाराष्ट्र			
10.	महाराष्ट्र	--	स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया।
बिहार			
11.	बिहार	बांका जिले में ककवारा	कोयला मंत्रालय ने पीरपैंती/बराहट कोयला ब्लॉकों की अनंतिम सिफारिश कर दी है। अवसंरचना स्पैशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) अर्थात बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड तथा ऑपरेटिंग एसपीवी अर्थात बिहार मेगा पावर लिमिटेड क्रमशः दिनांक 30.06.2015 तथा दिनांक 09.07.2015 को निगमित किए गए।
उत्तर प्रदेश			
12.	उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप दे दिया गया है।	दिनांक 21.07.2015 को सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रधान सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश सरकार ने उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी के लिए एटा में स्थान को अंतिम रूप दे दिया गया है।

****

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2166 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

यूएमपीपी को आबंटित कोयला ब्लॉकों के ब्यौरे

क्रम सं.	यूएमपीपी	कोयला ब्लॉक का नाम	आबंटन की स्थिति
1	सासन यूएमपपी	i) मोहर	एमओसी द्वारा दिनांक 13.09.2016 के पत्र द्वारा आबंटित।
		ii) मोहर-अमलोरी एक्सटेंशन	
		iii) छत्रसाल*	* एमओसी ने दिनांक 07.05.2015 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 956 [एस.ओ. सं. 1230 (ई)] के द्वारा कोयला ब्लॉक का आबंटन रद्द कर दिया है।
2	ओडिशा यूएमपीपी	i) मीनाक्षी	एमओसी ने दिनांक 17.02.2016 के पत्र द्वारा कोयला ब्लॉकों को एमएमडीआर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आबंटित करने का सिद्धांत रूप से निर्णय ले लिया है।
		ii) मीनाक्षी-बी	
		iii) मीनाक्षी की डिप साइड	
3	तिलैया यूएमपीपी, झारखंड	i) केरनदारी "बी" और "सी"	एमओसी द्वारा दिनांक 20.07.2007 के द्वारा आबंटित।
4	सरगुजा यूएमपीपी, छत्तीसगढ़	- बटाटीकोलगा पूर्व, - बटाटीकोलगा एनई-ए, - बटाटीकोलगा एनई-बी, - बटाटीकोलगा एनई-सी, - बटाटीकोलगा केंद्रीय, - बटाटीकोलगा पश्चिम	एमओसी ने दिनांक 08.04.2015 के पत्र द्वारा इन कोयला ब्लॉकों की अनंतिम सिफारिश कर दी है।
5	बिहार यूएमपीपी	पीरपैंती/बराहट	एमओसी ने दिनांक 17.02.2016 के पत्र द्वारा कोयला ब्लॉकों को आबंटित करने का सिद्धांत रूप से निर्णय ले लिया है।
6	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी	बंखुई	एमओसी द्वारा दिनांक 21.06.2010 के द्वारा आबंटित।
7	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी	-	घोगरपल्ली (360 एमटी) तथा घोगरपल्ली (280 एमटी) कोयला ब्लॉक की डिप साइड परियोजना के लिए चिन्हित की गई है।
8	देवघर यूएमपीपी	गोमरपहरी-सियुलीबाना	विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 24.02.2016 को कोयला मंत्रालय से, भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) वाले वैकल्पिक उपयुक्त कोयला ब्लॉक को चिन्हित करने का अनुरोध किया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2169

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों से प्रदूषण

2169. श्री रमेश चन्द्र कौशिकः

योगी आदित्यनाथः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों द्वारा किए जा रहे प्रदूषण के आलोक में सरकार का विचार विद्युत संयंत्रों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार बंद किए गए संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) ऐसे संयंत्रों को बंद करने से घटे प्रदूषण की स्थिति क्या है और क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी नहीं, तथापि, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने दिसंबर, 2015 में निदेश जारी किये हैं कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण मार्च, 2016 तक बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र अपनी पांच यूनिटों में से केवल एक ही युनिट का प्रचालन करे तथा इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लि. (आईपीजीसीएल) दिल्ली का राजघाट ताप विद्युत संयंत्र अपनी कोई दो यूनिटों का प्रचालन नहीं करेगा।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ऐसा कोई अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। ताप विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करने के लिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 07.12.2015 को कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए संशोधित उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं। नए मानक ज्यादा सख्त हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2198

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी में अनियमितताएं

2198. श्री शैलेश कुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनटीपीसी कहलगांव में वित्तीय अनियमितताओं के कई मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अनियमितताओं में संलिप्त पाए गए कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : जी हां, पिछले तीन वर्षों में अर्थात दिनांक 01.01.2013 से आज की तिथि तक एनटीपीसी कहलगांव में वित्तीय अनियमितता के 03 (तीन) मामले सामने आये हैं। मामला, एवं उक्त अनियमितताओं में शामिल पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2198 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

******

क्रम सं.	विवरण	परिणाम/ की गयी कार्रवाई
1	मैसर्स धारा इंजिनियरिंग वर्क्स, हावड़ा के पीओ सं. 4000119853 दिनांक 06.11.2013 के द्वारा चरण-1 के लिए आपूर्ति किये गये आउटर आर्म (सीआरएम), ईएसपी स्पेयर, जिसका अवार्ड मूल्य 7,42,500 रु. है, में अनियमितता पायी गयी थी। ईएसपी आर्म के एक भाग में दोष पाया गया।	इसमें शामिल एक अधिकारी के विरूद्ध लघु दण्डात्मक कार्यवाही शुरू की जा रही है। एजेंसी ने दोषपूर्ण भाग को बदल दिया है।
2	एनटीपीसी कहलगांव में मैसर्स लोटस कंसट्रक्शन कंपनी, पीओ सं. 5500012033 दिनांक 09.01.2013 के द्वारा ऐश डाइक लैगुन-III, एबी के दूसरे रेजिंग के निर्माण में अनियमितता पाई गयी थी। सेंड फिल्टर मैटीरियल एवं टर्फ सोड के लिए 34 लाख रु. का अधिक भुगतान किया गया था।	इसमें शामिल दो अधिकारियों के विरूद्ध लघु दण्डात्मक कार्यवाही शुरू की जा रही है। सेंड फिल्टर मैटीरियल एवं टर्फ सोड की मात्रा में कमी होने पर एजेंसी अर्थात मैसर्स लोटस कंसट्रक्शन कंपनी, से 34,04,226 रु. की वसूली की गई।
3	मैसर्स जीपीटी इन्फ्रा प्रोजेक्टस, कोलकाता एवं मैसर्स सुमरित मंडल एंड कंपनी को क्रमशः पीओ सं. 4000092499 दिनांक 17.07.2012 एवं 4000092432 दिनांक 16.07.2012 के द्वारा "बिहार क्षेत्र एवं झारखंड क्षेत्र में एमजीआर तटबंध के दोनों तरफ मिट्टी की भराई" के लिए दी गई निविदा के निष्पादन में अनियमितता पाई गयी थी। स्टोन पिचिंग की मोटाई 250 एमएम के स्थान पर 200-220 एमएम पाई गयी थी, जिससे लगभग 24 लाख रु. का वित्तीय बोझ पड़ा। भूमि एवं स्लोप के कम संघनन (भराई के दौरान) के कारण 17 लाख रु. का वित्तीय भार पड़ा था।	इसमें शामिल 6 अधिकारियों को दिनांक 25.06.2014 को लिखित चेतावनी जारी की गई थी। मैसर्स सुमरित मंडल से बिहार एवं झारखंड क्षेत्र में स्टोन पिचिंग कार्य के मामले में 23,98,952.47 रु. की वसूली की जा रही है। मैसर्स जीपीटी इन्फ्रा प्रोजेक्ट से भूमि एवं स्लोप भराई कार्य के कम संघनन होने पर 17,33,363.19 रु. की वसूली की गई।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2255

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

कोयला और गैस विद्युत परियोजनाओं को जोखिम

2255. श्री टी. राधाकृष्णनः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री राजीव सातवः
श्री धनंजय महाडीकः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में एसोचैम-क्रिसिल ने सूचित किया है कि लगभग 36,000 मेगावाट कोयला आधारित और 10,000 मेगावाट गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को उच्च जोखिम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी परियोजनाओं को 5/25 योजना के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना से उन परियोजनाओं को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : इस मंत्रालय में एसोचैम-क्रिसिल की रिपोर्ट की जांच नहीं की गई है।

(ग) और (घ) : आरबीआई जुलाई, 2014 में, अवसंरचना परियोजनाओं को 5/25 स्कीम में ला चुका है। इस स्कीम से, प्रारंभिक वर्षों में नकद-प्रवाह दबाव को सुचारू करते हुए, अवसंरचना/कोर उद्योग क्षेत्र परियोजनाओं की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित होने की संभावना है।

(ङ) : विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तुत मुख्य पहलें नीचे दी गई हैं:

- भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में स्ट्रैंडिड गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए तथा, साथ ही साथ, घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों के लिए आयातित स्पॉट पुनःगैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति के लिए स्कीम स्वीकृत की है। इस स्कीम में पीएसडीएफ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) से वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

- माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 204 कोयला ब्लॉकों को रद्द किए जाने के पश्चात, भारत सरकार ने एक अध्यादेश प्रख्यापित किया था अर्थात कोयला खान विशेष प्रावधान अध्यादेश, 2014, जिसे अब अधिनियम से प्रतिस्थापित किया गया है। सरकार ने आज की तारीख तक, नीलामी/आबंटन के माध्यम से, लगभग 50,000 मेगावाट की क्षमता हेतु विद्युत क्षेत्र को 47 ब्लॉकों का पुनःआबंटन सुनिश्चित किया है।

- कोयला मंत्रालय ने उन विद्युत संयंत्रों को कोयला उपलब्ध करवाने के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए ई-नीलामी मात्रा के भीतर पृथक मात्रा निर्धारित की है, जो इस कारण से दबाव में हैं, अथवा उन्हें कोयले की कम आपूर्ति होती है कि उनके पास कोयला ब्लॉक अथवा लिंकेज नहीं है अथवा दीर्घकालिक विद्युत क्रय करार (पीपीए) नहीं है। पीपीएधारकों (दीर्घकालिक एवं मध्यकालिक) के लिए 5 एमटी की मात्रा प्रस्तुत करने और 5 एमटी की मात्रा अन्य के लिए प्रस्तुत करने के द्वारा, पृथक रूप से ई-नीलामी पहले ही की जा चुकी है।

- विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण कंपनियों के प्रचालनात्मक एवं वित्तीय टर्न-अराउंड के लिए दिनांक 20.11.2015 को **उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना)** शुरू की है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2265

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

विद्युत मांग में कमी के कारण एनटीपीसी को घाटा

2265. श्री आनंदराव अडसुलः

श्री धर्मेन्द्र यादवः

श्री आधलराव पाटील शिवाजीरावः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत की मांग में कमी के कारण एनटीपीसी को घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में बिजली की कमी के बावजूद विद्युत की मांग में कमी के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन करवाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : एनटीपीसी में पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन में क्रमिक वृद्धि देखी गई जो नीचे दी गई हैः

वर्ष	2014-15	2013-14	2012-13
उत्पादन (बीयू)	241.26	233.28	232.03

(ग) और (घ) : पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत की मांग में कोई कमी नहीं हुई है और इसमें वृद्धि का ट्रेंड रहा है। देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान उत्पादन में भी वृद्धि का ट्रेंड रहा है। पिछले पांच वर्षों के दौरान विद्युत की मांग और विद्युत के उत्पादन का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

****

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 10.03.2016 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2265 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत पांच वर्षों के दौरान विद्युत की मांग

	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू)	**ऊर्जा उपलब्धता (एमयू)**	**व्यस्ततम मांग (मेगावाट)**	**व्यस्ततम आपूर्ति (मेगावाट)**
2010-11	861591	788355	122287	110256
2011-12	937199	857886	130006	116191
2012-13	995557	908652	135453	123294
2013-14	1002257	959829	135918	129815
2014-15	1068923	1030785	148166	141160

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2272

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा गैस आधारित ताप संयंत्र

2272. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनटीपीसी का देश में 500-1000 मेगावाट की क्षमता वाले गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्तमान में, एनटीपीसी का गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की संस्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) : उपर्युक्त (कके (परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2291

जिसका उत्तर 10 मार्च, 2016 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम (एनटीपीसी) द्वारा

खुले बाजार से ऋण

2291. श्री रामचरण बोहराः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों को होने वाले कुल नुकसान की समस्या से निपटने के लिए एनटीपीसी ने खुले बाजार से ऋण जुटाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप एनटीपीसी द्वारा कितना धन जुटाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : एनटीपीसी एक महारत्न कम्पनी है और सरकार से कोई अनुमति लिए बगैर इसे अपनी आवश्यकताओं के लिए बाजार से निधियां जुटाने की शक्ति प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न (क) नहीं उठता।

****